न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 95/2018

बउनवान

1. बाबूलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र हजारीलाल बैरवा निवासी पछाड तहसील छीपाबडौद
2. रामप्रसाद उम्र 37 वर्ष पुत्र हजारीलाल बैरवा निवासी पछाड तहसील छीपाबडौद
3. हीरालाल उम्र 32 वर्ष पुत्र हजारीलाल बैरवा निवासी पछाड तहसील छीपाबडौद

(अपीलांट)

बनाम

रतनलाल उम्र 62 वर्ष पुत्र गोप्या जाति चमार निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडौद हाल मुकाम नयापुरा तहसील अटरू

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.5.2018 अन्तर्गत धारा 183 (बी)(सी) राज.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक **(अपीलांट)**

निर्णय दिनांक 19.11.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी)(सी) राज.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 5/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 8.5.2018 के विरूद्व अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 12.6.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 (बी)(सी) राज0 टी0 एक्ट अपीलांट एवं उनके पिता हजारीलाल के विरूद्व प्रस्तुत की, जिसमे बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 8.5.2018 को स्वीकार कर, आदेश पारित किया है कि खाते मे अंकित सहखातेदारों के उनके हिस्से के अनुसार कब्जे काश्त के अलावा अन्य अतिक्रमित क्षेत्र एवं अतिक्रमी प्रतिवादीगणो को बेदखल किये जाने की आज्ञा दी जाती है साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त मे ना तो स्वंय बाधा डाले ना किसी अन्य से बाधा डलवाये। निरीक्षक भू–अभिलेख छीपाबडौद को निर्णय की एक प्रति दी जाकर आदेश दिया जाता है कि एए.एच.ओ. छीपाबडौद से माकूल पुलिस जाप्ता प्राप्त कर वादी को मौके पर कब्जा दिया जावे एवं प्रतिवादीगणो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

यह कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब

दावे के तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया एवं उन्हे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है।

यह कि प्रतिवादीगण की स्पष्ट जवाबदेही रही है कि सह खातेदार प्रभू पुत्र गोप्या से उसका हिस्सा क्रय किया है, क्रय की दिनांक से ही काबिज काश्त है। प्रार्थी रतना के किसी हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज नही है, फिर भी निर्णय पारित कर त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। प्रकरण मे दौराने वाद हजारीलाल का स्वर्गवास होने से उसके समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया एवं हजारीलाल की मृत्यु होने से कार्यवाही अबेट नही कर, गलत तोर पर शेष प्रतिवादीगण को ही पक्षकार मानकर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का रिकार्ड पर होने के बावजूद बेदखली का आदेश पारित कर त्रुटि की है। प्रकरण मे समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है, आवश्यक पक्षकार को सुने बिना निर्णय कर त्रुटि की है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी)(सी) राज.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 5/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 8.5.2018 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 केम्प बमोरीघाटा मे पारित किया गया है। किन्तु उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण को नियमानुसार सुनवाई, जवाबदेही, साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है, नियमानुसार समस्त सहखातेदारान एवं मृतक हजारीलाल के कायम मुकामान को पक्षकार भी नही बनाया गया है ओर ना ही दोनो पक्षो के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हुआ है। सह खातेदार प्रभू पुत्र गोप्या से उसका हिस्सा प्रतिवादीगण द्वारा क्रय किया जाना बताया गया है, उक्त आराजी पर क्रय दिनांक से ही काबिज होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, न्याय के प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत प्रतीत होने से हम खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत धारा 183 (बी)(सी) राज.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 5/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 8.5.2018 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां